



2026: AHC: 29699-DB

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध रिट याचिका संख्या - 1565/2026

सुरेंद्र बाथम याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 2 अन्य प्रतिवादी(गण)

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता: पवित्र कुमार पाठक, रजनीश त्रिपाठी

प्रतिवादी के अधिवक्ता: जी.ए.

न्यायालय संख्या - 45

माननीय न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता

माननीय न्यायमूर्ति अचल सचदेव

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता, राज्य के विद्वान ए.जी.ए. को सुना गया और रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया।
2. वर्तमान रिट याचिका याचिकाकर्ता द्वारा निम्नलिखित राहतों के लिए दायर की गई है: -

"(i) परमादेश की प्रकृति में एक रिट, आदेश या निर्देश जारी करें, जो प्रतिवादी संख्या 2 और 3 को दिनांक 14.12.2025 की प्रथम सूचना रिपोर्ट, जो मुकदमा अपराध संख्या 435/2025, बी.एन.एस. की धारा 87, 137(2), थाना- किशनी, जिला- मैनपुरी के रूप में दर्ज है, की इस माननीय न्यायालय या किसी अन्य सक्षम न्यायालय की निगरानी में निष्पक्ष और त्वरित जांच सुनिश्चित करने का निर्देश दे।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



(ii) परमादेश की प्रकृति में एक रिट, आदेश या निर्देश जारी करें, जो प्रतिवादी संख्या 2 और 3 को इस माननीय न्यायालय द्वारा निर्धारित समय अवधि के भीतर जांच पूरी करने और अभियुक्त व्यक्ति को गिरफ्तार करने का निर्देश दे।

(iii) कोई अन्य रिट, आदेश या निर्देश जारी करें, जैसा कि माननीय न्यायालय मामले की परिस्थितियों में उचित और उपयुक्त समझे।

(iv) और याचिकाकर्ता के पक्ष में याचिका का खर्च प्रदान करें।”

3. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि याचिकाकर्ता वर्तमान मामले में प्रथम सूचनाकर्ता है और यद्यपि वर्तमान मामले में एफ.आई.आर. 14.12.2025 को दर्ज की गई है, फिर भी पुलिस निष्पक्ष और तटस्थ तरीके से मामले की जांच नहीं कर रही है।
4. उपरोक्त के आलोक में, याचिकाकर्ता अपनी शिकायत बताते हुए और निष्पक्ष एवं तटस्थ जांच की मांग करते हुए प्रतिवादी संख्या 2- पुलिस अधीक्षक, मैनपुरी के समक्ष एक आवेदन दे सकता है, और यदि याचिकाकर्ता द्वारा ऐसा आवेदन दिया जाता है, तो प्रतिवादी संख्या 2- पुलिस अधीक्षक, मैनपुरी, वर्तमान मामले में निष्पक्ष, तटस्थ और त्वरित जांच सुनिश्चित करेंगे।
5. उपरोक्त आदेश के साथ, वर्तमान रिट याचिका निस्तारित की जाती है।

10 फरवरी, 2026

के.एस.

(अचल सचदेव, न्यायमूर्ति) (राजीव गुप्ता, न्यायमूर्ति)

अस्वीकरण

“अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”